

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश संख्या :- 957 /NG/2019/S&T/SPJ

निम्नलिखित अभ्यर्थी जो अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पटना के पत्रांक- RRC/ECR/GP1800/02/2018/Result, दिनांक-03.07.2019 के अनुसार Helper (S&T) लेवल-01 के पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य पाये गये हैं एवं निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में उत्तीर्ण हैं, के द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव पत्र स्वीकार करने के उपरांत अस्थायी नियुक्ति इनके नाम के सामान्य अंकित पद, वेतन लेवल, वेतन एवं स्टेशन/इकाई पर की जाती है:-

| अभ्यर्थी का नाम (श्री/श्रीमती/कु0) | पिता का नाम (सर्वश्री) | जन्म तिथि | समुदाय | चिकित्सा श्रेणी, प्रमाण पत्र सं0, एवं दिनांक | पदस्थापना पर लेवल-01 में वेतन निर्धारण | पदनाम एवं पदस्थापित युनिट / स्टेशन |
|---------------------------------------|---------------------------|------------|--------|---|--|--|
| Bishendra Singh | Shatrudhan Singh | 02.01.1985 | OBC | Fit in A-2 & below by ACMS/DHN No. 765332 Dt-02.05.19 | ₹ 18000 | Helper(Signal), नयानगर अधीन सी0से0ई / सिग्नल / समस्तीपुर(NWC) |




बिभेन्द्र सिंह

हस्ताक्षर (हिन्दी)

Bishendra Singh

हस्ताक्षर (अंग्रेजी)

सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर



पहचान चिन्ह: 1 BM 8cm 2'0'clock Rt.nipple.
2. 8m on inner end Rt.clarcle.

LTI /RTI(in case of Female Candidate)

इन्हें समय-समय पर स्वीकार्य भत्ता देय है। वेतन का लाभ इनके वास्तविक कार्यभार ग्रहण की तिथि से देय होगा। जहाँ नियुक्त पद पर प्रशिक्षण आवश्यक होगा, वहाँ संबंधित विभाग/अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था में अभ्यर्थी को सम्मिलित होना होगा।

इनकी नियुक्ति के संबंध में वे सभी शर्तें लागू होंगी जो एक अस्थायी कर्मचारी पर लागू होती है। चरित्र सत्यापन के दौरान प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने अथवा शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र के सत्यापन के दौरान त्रुटि पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इन्हें प्रादेशिक सेना के रेलवे इंजीनियरिंग इकाई में 12 वर्षों तक तथा प्रादेशिक सेना में 06 वर्षों तक सैन्य सेवा करनी होगी, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। इनकी सेवा रेलवे बोर्ड के परिपत्र F(E)/III/2003/PN-1/24 दिनांक 31.12.2003 द्वारा जारी सभी नियमों एवं विनियमों के अधीन दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना एवं समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों से शासित होगी।

(चन्द्र केशोर)

सहायक कार्मिक अधिकारी-॥

समस्तीपुर

दिनांक 29.08.2019

संख्या: का / 227 / आरआरसी पैनल/सम / S&T / 2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वमविप्र / सम0
2. वमसिदूङ्ग / सम0
3. सी0से0ई / सिग्नल / समस्तीपुर
4. मुकार्याधी / ई0एस0एम0 संवर्ग
5. संबंधित मुकार्याधी / बिल
6. संबंधित अभ्यर्थी
7. कार्याधी / एम0पी0पी0- वे कृपया इसे समस्तीपुर मंडल के वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
8. मुकार्याधी पास- कृपया उक्त कर्मचारी के पक्ष में समस्तीपुर से पदस्थापना स्थल तक कार्य योगदान हेतु वांछित पास निर्गत करने की व्यवस्था करें।
9. अभिलेख हेतु
10. मंडल मंत्री-ईसीआरकेयू0 ,ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो0 / सम0

सहायक कार्मिक अधिकारी-॥
समस्तीपुर